राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक/एफ(94)मु0/प्रशा/वि.के./07/1072 दिनांक:- 30.10.07

परिपत्र

विषय:- निगम बस स्टैण्ड पर राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम समिति व पंजाब एग्रो के उत्पाद विक्रय हेतु स्थान आवंटन बाबत् ।

निगम संचालन मण्डल की बैठक संख्या 229 एवं प्रस्ताव संख्या 14/229/07 दिनांक 22.10.07 के निर्णय संख्या 43/2007 के अनुसार इस कार्यालय के जारी परिपत्र क्रमांक एफ(94)मु0/प्रशा/वि.के/510/ दिनांक 23.5.07 व स्पष्टीकरण पत्रांक 671 दिनांक 27.6.07 के बिन्दु संख्या -3 में निम्न संशोधन किया जाता है :-

निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थानों(राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन, पंजाब एग्रो आदि) को बस स्टैण्ड पर स्थान उपलब्ध होने पर तथा इन संस्थानों द्वारा कियोस्क के स्थान हेतु आवेदन करने पर बिना निविदा के बस स्टैण्ड पर संचालित निजी स्टाल्स-कियोस्क की औसत दर प्रति वर्गफिट(कुल मासिक लाईसेंस फीस -:- आवंटित कुल क्षेत्रफल) के आधार पर आगारीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावित दर का प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम् तीन वर्ष के लिये आवंटन किया जा सकेगा । आवंटित स्थान की लाईसेंस फीस में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृत्ति दर से वृद्धि की जावेगी । तीन वर्ष की अवधि समाप्ति से दो माह पूर्व पुन: उक्त संस्थानों द्वारा सम्बन्धी मुख्य प्रबन्धक को अनुबन्ध नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा । मुख्य प्रबन्धक मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लाईसेंस का पुन: नवीनीकरण करेंगे। उक्त सभी संस्थान आवंटित कियोस्क पर केवल अपने निर्मित उत्पादों का ही विक्रय निर्धारित दरों पर कर सकेंगे एवं कियोस्क संचालन हेतु अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेंगे अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा । बस स्टैण्ड पर आवंटित स्थान का अनुबन्ध संस्थान से ही किया जावेगा तथा प्रतिमाह निर्धारित लाईसेंस फीस समय पर जमा करवाने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी । बस स्टैण्ड पर इन संस्थानों को कियोस्क हेतु अधिकतम् 6'x6' का स्थान आवंटित किया जावेगा । अन्य शर्तें निजी स्टाल्स के आवंटन हेतु जारी नये दिशा-निर्देश अनुरूप लागू होंगी ।

30/10

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner

क्रमांक/एफ(94)मु0/प्रशा/वि.के./07/ 1072 दिनांक:- 30.10.07

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राराप्पनिगम जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कारपो0 लि0 2-ए सेक्टर 28 ए, मध्यम मार्ग, चण्डीगढ़ 160002 (भारत)
3. वित्तीय सलाहकार राराप्पनिगम जयपुर।
4. महा प्रबन्धक(संचालन) राराप्पनिगम ————— जोन मुख्यालय जयपुर।
5. संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त-अंकेक्षण) राराप्पनिगम मुख्यालय जयपुर।
6. उप प्रबन्धक(विपणन) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर 302015
7. शाखा प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विकास निगम सीमित गैरेज नम्बर-4 ए ब्लाक लाल कोटी, सब्जी मण्डी जयपुर 302015
8. मुख्य प्रबन्धक राराप्पनिगम ————— आगार
9. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकःएफ–169 / मुख्या. / प्रशा. / विके / 2012 / 319 दिनांकः– 1/5/12

मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम
———— आगार

विषयः–बस स्टैण्ड पर सरस पार्लर आवंटित करने के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुये बस स्टैण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु सरस उत्पादों के विक्रय हेतु स्टॉल / कियोस्क के आवंटन के क्रम में निम्न दिशा निर्देशों के साथ इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

1. उक्त अनुबन्ध दुग्ध उत्पादन संघ / राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फेडरेशन से ही किया जावे।
2. सरस पार्लर हेतु बिना निविदा के स्टॉल / कियोस्क आवंटित किया जा सकता है।
3. बस स्टैण्ड पर संचालित निजी स्टॉल / कियोस्क की औसत दर प्रतिवर्ग फुट (कुल मासिक लाईसेंस फीस ÷ आवंटित कुल क्षेत्रफल) के आधार पर आवंटित किया जा सकता है।
4. सरस उत्पाद विक्रय हेतु प्राप्त प्रस्ताव का औसत दर पर आवंटन हेतु आगारीय समिति मुख्यालय से अनुमोदन हेतु अनुशंषा प्रेषित करेगी।
5. मुख्यालय से अनुमोदन के पश्चात सरस स्टॉल हेतु अनुबन्ध अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जावेगा। जिसकी लाईसेंस फीस में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की चक्रवृति दर से वृद्धि की जावेगी।
6. उक्त आवंटित स्टॉल पर केवल सरस निर्मित उत्पादों का ही विक्रय किया जावेगा।
7. कियोस्क आवंटन की दशा में 6′ X 6′ का स्थान ही आवंटित किया जावेगा।

लाईसेंस नवीनीकरण एवं अन्य शर्तें परिपत्र संख्या 519 दिनांक 23.05.2007 के अनुसार ही लागू रहेगी।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner